न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 584/2022 निर्णय दिनांक :– 10.10.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :

नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)
2. कजोड़ पुत्र माता स्व. लादी जाति जाट उम्र बालिग निवासी मेवदाकंला तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
3. कैलाशी पुत्र माता स्व. लादी जाति जाट उम्र बालिग निवासी मेवदाकंला तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज.)
4. ओंकार पुत्र छोगा जाति जाट उम्र बालिग निवासी सरोली तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–
श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 2 ता 4
पेरोकार सरकार
प्रतिवादी संख्या 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं. 2 व 3 की माता स्व. लादी पुत्री नारायण एवं अप्रार्थी नं. 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 368 खसरा नम्बर 1070 रकबा 0.48 है0., खसरा नम्बर 1073 रकबा 0.48 है0, खसरा नम्बर 1080 रकबा 0.05 है0 गै.मु.चाह, खसरा नम्बर 1081 रकबा 2.60 है0, खसरा नम्बर 1088 रकबा 1.09 है0, खसरा नम्बर 1254 रकबा 0.59 है0, खसरा नम्बर 482 रकबा 0.30 है0, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.13 है.0, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.10

10/10/2024

है0, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.02 है0 गै. मु. चाह, खसरा नम्बर 841 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 842 रकबा 0.19 है0 कुल किता 12 कुल रकबा 6.23 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। अप्रार्थीगण नं. 2 व 3 की माता मृतक लादी पुत्री नारायण का 1/3 एवं अप्रार्थी नं. 4 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थना पत्र के चरण नं. 1 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम सहवन से हरनाथ पुत्र देवा जाति जाट दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नाथूलाल पुत्र देवा है जो सही है। हरनाथ पुत्र देवा जाति जाट एवं नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट एक ही व्यक्ति है। हरनाथ पुत्र देवा जाति जाट नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम सरोली में नहीं है। हरनाथ उर्फ नाथूलाल पुत्र देवा जाट एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जिनमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार आदि राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का सही नाम नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट ही दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम हरनाथ पुत्र देवा जाति जाट के स्थान पर नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थी नं. 1 व राजस्व शिविर में कई प्रार्थना पत्र पेश किये है, परन्तु आज–तक प्रार्थी का सही नाम अंकन नहीं हुआ है। इस कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने के कारण प्रार्थी कई सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रखी हैं। इस कारण उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरनाथ पुत्र देवा जाट के स्थान पर सही नाम नाथूलाल पुत्र देवा जाट इन्द्राज किया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक हैं। उक्त वर्णित भूमि की सहखातेदार लादी पुत्री नारायण की मृत्यु हो चुकी है, अप्रार्थीगण नं. 2 व 3 मृतक लादी के विधिक वारिसान है एवं अप्रार्थी नं. 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के सहखातेदार होने के कारण इन्हें प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार

10/10/2024

पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी उपरोक्त अप्रार्थीगण नं. 1 त 3 विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहता हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि एवं प्रार्थी का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 368 कुल किता 12 कुल रकबा 6.23 है0 वाके तनग्राम सरोली पटवार हल्का सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम हरनाथ पुत्र देवा जाति जाट के बजाय नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार दूनी से पत्रांक 9 दिनांक 16.01.24 से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध जवाब/ रिपोर्ट ली गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा पत्रांक 381 दिनांक 02.02.2024 ने जवाब रिपोर्ट पेश किया, जिसमें संलग्न मौका पर्चा अनुसार ग्राम सरोली के खाता संख्या 368 कुल किता 12 रकबा 6.23 है0 भूमि औंकार पुत्र छोगा हि. 1/3, लादी पुत्री नारायण हि. 1/3 हरनाथ पुत्र देवा हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह शामलाती खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता संख्या 368 में हदज्र हरनाथ पुत्र देवा हि. 1/2 दर्ज जो कि गलत दर्ज है, सही नामा नाथूलाल पुत्र देवा जाति जाट होना बताया , जिसकी जानकारी ग्राम सरोली के मौतविरानो से ली गई , बाद पूछताछ पाया गया कि प्रार्थी के प्राप्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जना आधार कार्ड

10/10/2024

आदि एवं उपस्थित मौतबिरानो द्वारा बताया गया कि हारनाथ पुत्र देवा जाट ग्राम सरेी में कोर्ठ व्यक्ति नहीं है जबकि नाथू पुत्र देवा जाट सरोली का ही निवासी है अर्थात हरनाथ पुत्र देवा व नाथू पुत्र देवा एक ही व्यक्ति होना बताया गया। अतः हरनाथ पुत्र देवा के बजाया नाथू पुत्र देवा किया जाना अपेक्षित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

बहस के समय यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि नाथूलाल पुत्र देवा व हरनाथ पुत्र देवा की आराजी/सम्पति के बारे में अधिवक्ता द्वारा नहीं बताये जाने से तहसीलदार से कमांक 676 दिनांक 8.7.24 से रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा ।

तहसीलदार दूनी द्वारा कमांक 3206 दिनांक 09.7.2024 से रिपोर्ट प्रेषित की गई जो संक्षिप्त में मुख्यतया इस प्रकार हैः—मुताबिक संयुक्त रिपोर्ट ग्राम सरोली में हरनाथ पुत्र देवा के नाम खाता संख्या 368 कुल किता 12 कुल रकबा 6.23 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि के अलावा ग्राम सराली में हरनाथ पुत्र देवा के नाम कोई भूमि/सम्पति नहीं पाई गई। नाथूलाल पुत्र देवा के नाम ग्राम सरोली के राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि का विवरण नहीं पाया गया है।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

तहसीलदार दूनी ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2074—77 में

10/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी का नाम हरनाथ पुत्र देवा हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। जिसको प्रार्थी नाथूलाल पुत्र देवा करवाना चाहता है।

अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने आधार कार्ड संख्या 5208 5776 2106 जिसमें नाथूलाल पुत्र देवा जाट, तहसीलदार का मौका पर्चा दिनांक 15.03.22 अनुसार प्रार्थी हरनाथ पुत्र देवा के बजाय जो सही नाम नाथूलाल पुत्र देवा है जो सही है। तहसीलदार दूनी का मौका पर्चा दिनांक 31.01.24 के अनुसार हरनाथ पुत्र देवा जाट ग्राम सरोली में कोई व्यक्ति नहीं है जबकि नाथू पुत्र देवा जाट सरोली का ही निवासी है अर्थात हरनाथ पुत्र देवा व नाथू पुत्र देवा एक ही व्यक्ति होना बताया गया। अतः हरनाथ पुत्र देवा के बजाया नाथू पुत्र देवा किया जाना अपेक्षित है। जन्म प्रमाण पंत्र दिनांक 23.03.2021 अनुसार नाथूलाल पुत्र देवा जाट का अंकन है। जन आधार कार्ड़ संख्या 5060580338 अनुसार गंगादेवी पत्नी नाथूलाल दर्ज है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट दिनांक 09.07.2024 अनुसार हरनाथ पुत्र देवा के नाम खाता संख्या 368 कुल किता 12 कुल रकबा 6.23 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि के अलावा ग्राम सराली में हरनाथ पुत्र देवा के नाम कोई भूमि/सम्पति नहीं पाई गई। नाथूलाल पुत्र देवा के नाम ग्राम सरोली के राजस्व रिकॉर्ड में कोई भूमि का विवरण नहीं पाया गया है।

उक्तानुसार सरकारी दस्तावेजो व तहसीलदार की रिपोर्ट का विवेचन करने पर यह तथ्य सामने आते है कि हरनाथ पुत्र देवा व नाथूलाल पुत्र देवा एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी का सही नाम नाथूलाल पुत्र देवा है परन्तु सहवन/त्रुटिवश से हरनाथ पुत्र देवा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो जाने से राजस्व रिकॉर्ड मे लगातार हरनाथ पुत्र देवा ही चला आ रहा है। जिसको कृषक हित में शुद्ध करना उचित प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

10/10/2024

Scanned with OKEN Scanner

अतः वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 368 कुल किता 12 कुल रकबा 6.23 है0 में दर्ज हरनाथ पुत्र देवा हिस्सा 1/3 जाति जाट के स्थान पर हरनाथ उर्फ नाथूलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/3 जाति जाट दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.10.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner